संख्याः 29 /XXVII(7)/18-50(14)/2017

सेवा में,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे० आ०-सा० नि०) अनुभाग-7 देहरादूनः दिनांक 23 जनवरी, 2019

विषयः- राज्य सरकार/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों आदि के नियंत्रणाधीन/स्वामित्वधीन आवासों के किराये (फ्लैट रेन्ट) का पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में राज्य सरकार/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों आदि के नियंत्रणाधीन/स्वामित्वाधीन समस्त आवासों, जिनका आवंटन अधीनस्थ कार्मिकों को किया जाता है, हेतु वर्तमान में निर्धारित "फ्लैट रेन्ट" की दरों में चार गुना वृद्धि दिनांक 01 फरवरी, 2019 से राज्य सम्पत्ति विभाग के शासनादेश संख्या-1634 दिनांक 04 जनवरी, 2019 के अनुरूप किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। पूर्व निर्धारित शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः (1)/XXVII(7)/18-50(14)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
10. निदेशक, शहरी विकास विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक, पंचायतीराज निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
13. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

I.T
Up Load करें।
24.01.19

(देवेन्द्र शाह)

Modo - manage your online data. Learn More>